प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –161 / 2023

अनवान : –

1. प्रकाश चन्द्र पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. वेदिका पत्नी दिपेश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्यामसुन्दर पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. आशा पत्नी श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27 / 0 की कुल 4.0100 है0 मुश्तरका भूमि मे वादी का 7 / 48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 5 / 24 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 12 / 12 के खसरा नं. 61 की 3.6800 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादगण से बाह्मी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.07.2014 को एक पारिवारिक समझोता किया जिसके अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27 / 0 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.0100 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1 / 8 हिस्सा भूमि में से 0.3341 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के व 0.08415 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के व 0.083 है0 भूमि वादी के व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 12 / 12 के खसरा नं. 61 की 3.6800 है0 भूमि में से 1.909 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 यथावत काबिज है तथा वादी पारिवारिक समझोता दिनांक 10.07.2014 के अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विना दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 2 ता 4 को कोई एतराज नही है।

प्रतिवादी स0 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की पक्षकारान मुताबिक बाहमी राजीनामा राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि दर्ज करवाना चाहते है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति/जवाब दावा पेश कर वादी को वाद को स्वीकार कर चुक है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 27/0 की कुल 4.0100 है0 मुश्तरका भूमि मे वादी का 7/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 5/24 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 12/12 के खसरा नं. 61 की 3.6800 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी बाहमी राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि को दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी स0 1 त 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकाबाल दावा/जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 की कुल 4.0100 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0.3341 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 0.08415 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 0.083 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 12/12 के खसरा नं. 61 की 3.6800 है0 भूमि में से 1.909 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या –161/2023
अनवान : –

1. प्रकाश चन्द्र पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. वेदिका पत्नी दिपेश जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्यामसुन्दर पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. आशा पत्नी श्यामसुन्दर जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 161 सन 2023 दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 की कुल 4.0100 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि में से 0.3341 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 0.08415 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 0.083 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 12/12 के खसरा नं. 61 की 3.6800 है0 भूमि में से 1.909 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी